

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सकीला बैंगम बनाम रासचन्द

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 133/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>सकीला बैंगम</u></p> <p>पिता श्री <u>इसरार खान मुजलम</u></p> <p>निवासी- <u>सावा की टाणी</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>टाणी (पं.ह. लामरी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>14 17 26</u> <u>27 28</u> <u>0.23 0.15 0.39</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> कुल रकबा <u>1.5800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>टाणी (पं.ह. लामरी तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>14 17 26 27 28</u> <u>0.23 0.15 0.39 0.37 0.44</u></p> <p>कुल कीता <u>05</u> रकबा <u>1.5800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>